

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं० - 03/भू०अ०नि०(2)राज्य यो०(अररिया)-75/2020 पटना, दिनांक 23/12/2022

**आदेश**

बंदोबस्त कार्यालय, अररिया के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु गठित भरगामा शिविर-02 में पदस्थापित श्री अंकित कुमार आनन्द, संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02140) के विरुद्ध रैयतों से भूमि सर्वे के कार्यों के निवटारा हेतु अवैध रूप से मोटी रकम की मांग करने का विडियो वायरल हुआ है।

उक्त वायरल विडियो के अवलोकनोपरांत रैयतों द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 3096 दिनांक 08.11.2022 द्वारा आरोपित से संविदा नियोजन समाप्ति के विरुद्ध पत्र प्राप्ति से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 4188 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा आरोपित पर लगाए गए आरोप से संबंधित वायरल विडियो की जांच हेतु राजस्व पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को इस निदेश के साथ प्रेषित की गयी है कि वायरल विडियो में जो रैयत दिख रहे हैं, उनसे सम्पर्क कर मामले की जांच कर अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

प्रस्तुत मामले से संबंधित जिला के मुख्यालय स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा राजस्व पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

आरोपित पर लगाए गए आरोप के संदर्भ में जांच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपित द्वारा अपने कथन में निरंतर बदलाव एवं भ्रामक तथा गुमराह करने की कोशिश करने के साथ-साथ इनके कार्य में अनियमितता किए जाने तथा इनके विरुद्ध पूर्व में भी शिकायत होने का प्रतिवेदन दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जांच पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि वायरल विडियो जानबुझ कर बनवाया गया है ताकि मुझे मेरे मौजा में बदनाम किया जा सके तथा कथित विडियो में लगाया गया सारा आरोप निराधार एवं एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, जबकि जांच पदाधिकारी, जो स्थलीय निरीक्षण के उपरांत अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किए हैं, उसमें इन्हें वायरल विडियो के अनुरूप दोषी पाया गया है।

आरोपित के विरुद्ध प्राप्त प्रतिवेदन, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा रैयतों के साथ भ्रष्टाचार जैसा कार्य किया गया है एवं सर्वे कार्यों में अनियमितता बरती गयी है। इनके इस प्रकार के कृत्य से सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार के कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े, अतः ऐसे कर्मियों को सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः "बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम - 8(4)" में वर्णित प्रावधान के तहत श्री अंकित कुमार आनन्द, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02140) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

क०प०उ०

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढी-27/2022... पटना, दिनांक 23/12/2022  
प्रतिलिपि :- श्री अंकित कुमार आनन्द, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02140) को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवंपरिमाण  
ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढी-27/2022... पटना, दिनांक 23/12/2022  
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवंपरिमाण  
ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)सीतामढी-27/2022... पटना, दिनांक 23/12/2022  
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवंपरिमाण